न्यायालय: – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.) श्रृंखाला न्यायालय-बैहर

(पीठासीन अधिकारी-मांखनलाल झोड़)

C.R.A./10/2017 Filling No. C.R.A./ 315 /2017 CNR MP 500500005472017 संस्थित दिनांक — 12.08.2014

श्यामलाल राहंगडाले आयु 40 वर्ष आत्मज सालिकराम उर्फ छोटेलाल निवासी-ग्राम नेवरगांव पुलिस चौकी चरेगांव थाना तहसील लामता अपीलार्थी। जिला बालाघाट (म.प्र.)

मु0प्र0 शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र–परसाड़ा, जिला बालाघाट

{न्यायालयः–श्री डी.एस. मंडलोई, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.—912 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 20.08. 2014 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी / राज्य ।

मई 2017 को घोषित)

- अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा यह अपीलाधारा ३७४ द.प्र.सं. के, श्री डी.एस. मंडलोई, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 912 / 2008 शासन बनाम श्यामलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 में धारा 304-ए भा.द.वि. में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 / - रू. के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की गई
- अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 07.12.2008 को 2. दिन में 2:00 बजे ग्राम बघोली थाना परसवाडा जिला बालाघाट में प्रार्थी योगेश के घर के सामने लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 3329 के चालक

श्यामलाल राहंगडाले ने वाहन को उताबलेपन एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दिनांक 07.12.2008 को दिन में करीब 2 बजे सहजल मर्सकोले को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उक्ताशय की रिपोर्ट लेख कराने पर प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 70/08 धारा 279, 337 भा.द.वि. के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरप्तार किया गया, सहजल की चोटों का परीक्षण कराया गया, उपचार के दौरान सहजल की मृत्यु हो गई। धारा 304-ए भा.द.वि. का अपराध कायम किया गया। नक्शामौका बनाया गया, नक्शा पंचायतनामा बनाया गया, शव परीक्षण कर शव परिजन को सौंपा गया गया। साक्षियों के कथन लेख किए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षियों के कथनों पर विश्वास कर त्रुटि की है। दोषसिद्धि का निर्णय निष्कर्षित कर त्रुटि की है, साक्षियों के कथनों का सही मूल्यांकन नहीं किया है, अभियोजन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं की है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं की है। चिकित्सक साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना कथन नहीं किया है। योगेश अ.सा.1 ने प्रथम सूचना लेख कराई, कथन नहीं है। प्रथत सूचना लेखकर्ता पुलिस अधिकारी के कथन नहीं कराएं है। दण्डादेश अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र.क. 912/2008, शासन विरूद्ध श्यामलाल निर्णय दिनांक 20.08.2014 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. योगेश (अ.सा.1) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि दिनांक 07. 12.2008 को घटना के समय अपने घर के सामने आंगन में खड़ा था तब 407 वाहन परसवाड़ा से तेजी से जा रही थी। पड़ोस की बच्ची सहजल उसके घर के सामने पट्टी पर खेल रही थी, 407 वाहन के चालक ने तेजी से चलाकर

सहजल को टक्कर मार दी थी। उसके शरीर पर कई जगह पर चोट आयी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। परसवाड़ा अस्पताल लेकर गये, वहाँ डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साक्षी की निशादेही पर पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी. 1 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त 407 वाहन को न्यायालय उपस्थित आरोपी ही चला रहा था। नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 पर अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा चलाए गए तेज गति के कारण दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य का खण्डन नहीं है।

- 6. जगदीश धुर्वे (अ.सा.2) ने साक्ष्य दी है कि घटना के समय वह अपने घर के दरवाजे में खड़ा था। सहजल अपने घर के सामने रोड के सामने खेल रही थी। बैहर से परसवाड़ा जाने के लिए ट्रक आ रहा था, ट्रक ने सहजल को दबा दिया था, साक्षी चालक को नहीं देख पाया, दुर्घटना चालक की गलती से हुई है। सूचक प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने वाहन क्रमांक ज्ञात न होना बताया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि ट्रक कौन चला रहा था नहीं देखा। दुर्घटना किसकी गलती से हुई नहीं बता सकता।
- 7. विकास पटले (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि साक्षी का मकान रोड से दो मकान पीछे है। हल्ले की आवाज सुनकर घटनास्थल गया, देखा एक टक खड़ा था। सहजल चोटग्रस्त हालत में पड़ी थी। ट्रक को कौन चला रहा थी जानकारी नहीं है। घटना के बाद सहजल की मृत्यु हो गई थी। ट्रक का चालक भीड़ में मौजूद था जिसे पुलिस द्वारा ले जाते समय देखा था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में कथन कर स्वीकार किया है कि घटना कैसे घ । टित हुई, वह नहीं बता सकता क्योंकि उस समय वह अपने घर पर था, वाहन कौन चला रहा था, नहीं मालूम।
- 8. बुद्धनलाल (अ.सा.4) ने भी मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि उसने चालक को देखा था। दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी। आरोपी का नाम श्यामलाल राहंगडाले है उस समय वह ट्रक चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में पद कमांक 3 में कथन किया है कि सहजल सडक किनारे खेल रही थी। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय साक्षी अपने घर पर था। पद कमांक 4 में कथन किया है कि दुर्घटना घटी और ट्रक खड़ा हुआ था, आसपास के लोग आ

गये थे, साक्षी भी आ गया था। यह स्वीकार किया है कि आज साक्षी को ट्रक का नंबर, कंपनी, मॉडल नहीं मालूम। यह स्वीकार किया है कि आरोपी श्यामलाल को घटना के पूर्व से नहीं जानता है। स्वतः कहा कि चालक ने अपना नाम श्यामलाल बताया था। पद क्रमांक 6 में कथन किया है कि दुर्घटना ट्रक वाले की गलती से हुई थी। पद क्रमांक 8 में कथन किया है कि घटना साक्षी के सामने घटित होने की बात पुलिस को बता दी थी। यदि प्र.डी. 1 के कथन में उक्त बात लेख न हो तो कारण नहीं बता सकता।

- 9. कलीबाई (अ.सा.5) ने कथन किया है कि 3 वर्ष पूर्व की घटना है। वह जंगल गई थी। वापस घर आयी तो देखा कि साक्षी की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक वहीं पर खड़ा था, ट्रक चालक मौजूद था जिसका नाम श्यामलाल था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह लकड़ी के लिए जंगल गई थी। दुर्घटना किस प्रकार हुई नहीं बता सकती। साक्षी ने सिर्फ ट्रक खड़ा देखा था, ट्रक चलाते हुए नहीं देखा। ट्रक कौन चला रहा था नहीं देखा। यह स्वीकार किया है कि आरोपी को घटना के पूर्व से नहीं जानती थी किसकी लापरवाही से घटना घटित हुई वह नहीं बता सकती।
- 10. तानकलाल (अ.सा.६) ने साक्ष्य दी है कि आरापी को नहीं जानता। हितेश अग्रवाल से कोई जप्ती नहीं हुई थी। जप्ती पत्र प्र.पी. 3 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। श्यामलाल से कोई जप्ती नहीं हुई। जप्ती पत्र प्र.पी. 4 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। श्यामलाल को गिरप्तार किया था या नहीं वह नहीं बता सकता। किंतु गिरप्तारी पत्रक प्र.पी. 5 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। सूचक प्रश्न के उत्तर में सार्थक साक्ष्य नहीं है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह थाने के पीछे रहता है। पुलिस वाले कई बार बुलाकर कागजों पर हस्ताक्षर ले लेते है। पुलिस के कहने पर साक्षी ने कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, पढ़कर नहीं बताया था कि क्या लिखा है।
- 11. नारायण (अ.सा.७) ने कथन किया है कि हितेश को जानता है। साक्षी के समक्ष हितेश से कोई जप्ती नहीं हुई। जप्ती पत्र प्र.पी. 3 के बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। सूचक प्रश्न के उत्तर में दिए गए सुझावों को

इंकार किया है। हितेश अग्रवाल के पास द्रक है स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

- 12. हिराम (अ.सा.८) ने साक्ष्य दी है कि साक्षी के समक्ष पुलिस ने कत्थाई रंग का ट्रक जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 4 तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि इस प्रकरण के अलावा भी कई कागजों पर हस्ताक्षर किए है। यह स्वीकार किया है कि वह कई प्रकरणों में गवाही देने आया है। यह स्वीकार किया है कि ट्रक किससे जप्त हुआ, जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया है कि ट्रक किसका था, नाम नहीं मालूम।
- 13. मुरलीधर कटरे (अ.सा.10) ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 07.12. 2008 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को विनोद आरक्षक शून्य मर्ग डायरी लेकर आया था, साक्षी ने असल नंबर पर मर्ग धारा 174 द.प्र.सं. के अधीन दर्ज किया था। मर्ग इंटीमेशन प्र.पी. 10 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। मर्ग क्रमांक 25/8 है।
- 14. महेश पटले (अ.सा.11) सैनिक ने साक्ष्य दी है कि वह थाना परसवाड़ा में सैनिक सह—चालक के रूप में वर्ष 2002 से वर्तमान समय तक कार्य कर रहा है। दिनांक 16.12.2008 को थाना परसवाड़ा की जप्तशुदा दूक का मैकेनिकल परीक्षण कर प्र.पी. 6 की रिपोर्ट दी थी जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। उक्त ट्रक का बड़ा काँच टूटा था।
- 15. कप्तान सिंह उइके (अ.सा.१) अन्वेषण अधिकारी हैं, ने साक्ष्य दी है कि प्र.पी. 7 का मर्ग कुमारी सहजल के फौत होने की सूचना प्राप्त होने पर कायम किया था। सहजल का पंचायतनामा प्र.पी. 8 अस्पताल में पंचो के समक्ष बनाया था। पंचो के समक्ष प्र.पी. 2 का नक्शा पंचायतनामा बनाया था। सहजल के शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्र.पी. 9 का भरकर परसवाड़ा अस्पताल दिया था। विवेचना के दौरान नजरीनक्शा प्र.पी. 1 का योगेश की निशादेही पर बनाया था। आरोपी श्यामलाल ने कत्थाई रंग का ट्रक क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 3329 जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 4 का तैयार किया था जिसपर साक्षी व आरोपी के

हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरप्तार कर गिरप्तारी पत्र प्र.पी. 5 बनाया था। ट्रक के कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया था।

- 16. डॉ. आर.के. नकरा (अ.सा.12) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12. 2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाडा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। थाना परसवाडा के आरक्षक विनोद ने सहजल उम्र 03 वर्ष के शव विच्छेदन हेतु लाया था। शव परीक्षण कर पाया था कि उसकी दाहिने भुजा पर कटा हुआ घाव था जिसमें से हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी, एक फटा हुआ घाव जांघ पर था जहाँ से हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी, उसके बाएं हाथ पर कटा—फटा घाव, बांए पैर पर कटा—फटा घाव था, हड्डियॉ टूटी हुई थी। छिले हुए 6 घाव थे। शव की बायीं टांग में कटा हुआ घाव था। साक्षी के मतानुसार सभी चोटें मृत्यु पूर्व की होकर परीक्षण पूर्व 2—3 घंटे की अवधि की थी। हड्डी के टूट जाने से मृत्यु हुई थी, मत दिया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त चोटों के अलावा अन्य कोई चोटें नहीं थी।
- 17. अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन ने योगेश (अ.सा.1) के कथन में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं कराया है और प्रथम सूचना लेखकर्ता पुलिस अधिकारी मुरलीधर कटरे के कथन नहीं कराएं है। अभिलेख पर प्रथम सूचना प्रमाणित नहीं है। श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि चिकित्सक साक्षी डॉ. नकरा (अ.सा.12) का परीक्षण अभियोजन ने कराया है, किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श अंकित नहीं कराया है, इसलिए इस साक्षी ने अपने मुख्य कथन में जो साक्ष्य दी है वह परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर है, यह प्रमाणित नहीं है।
- 18. श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित तर्क का भी अध्ययन किया गया। संलग्न न्यायदृष्टांतों का अध्ययन किया गया।
- 19. <u>म.प्र. राज्य विरुद्ध लूना 1986 (1) एम.पी.वी.नो. 38</u> पेश किया है, का अध्ययन किया गया। इस न्यायदृष्टांत के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित, पर अपराध के पंजीकरण दो दिन का विलंब किया गया है, शंकास्पद होना प्रतिपादित किया है। उक्त आधार पर लाभ दिए जाने की याचना की है, कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं किया है

और यह भी साक्ष्य नहीं है कि वह कायमी कब की गई है, इसलिए लाभ दिया जावे।

- 20. रमेश बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 1987 (11) एम. पी.वी.नो. 47 पेश कर निवेदन किया है कि आहत के चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् प्रथम सूचना लेख की गई है। समय के संबंध में छेड़छाड़ की गई है, इसलिए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा धारा 324 भा.द.वि. के अपराध में संदेह का लाभ दिया है, इस मामले में लाभ दिए जाने की याचना की है। अभियोजन ने दिन के 2:00 बजे की घटना के संबंध में कायमी 2:30 बजे की है, इसलिए इस न्यायदृष्टांत का लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 21. रेणु कुंता मलैह विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश 2008 सी.जे. (एस.सी.) 1377 पेश कर निवेदन किया है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तब भी अपीलार्थी श्यामलाल को दंडित कर विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है। इस न्यायदृष्टांत का लाभ दिए जाने की याचना की है तथा स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध शेरसिंह 2008 सी. जे. (एस.सी.) 1592 पेश कर निवेदन किया है कि अभियोजन के मामले को उक्त 9 साक्षियों ने अपनी साक्ष्य से समर्थित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा दुध दिना किया जाना नहीं पाया गया है फिर भी दंडित किए जाने के कारण उसे दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।
- 22. इस मामले में किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। योगेश (अ.सा.1) ने अपीलार्थी द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना साक्ष्य दी है, किंतु अभिलेख पर फरियादी योगेश ने और अपराध कायमीकर्ता मुरलीधर कटरे को पेश कर साक्ष्य दिलाकर प्रदर्शित नहीं कराया है। चिकित्सक साक्षी ने शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्शित कर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन नहीं किया है। अन्य साक्षियों के कथनों से योगेश (अ.सा.1) के कथन की पुष्टि नहीं होती है। योगेश (अ.सा.1) के द्वारा दी गई साक्ष्य स्वभाविक इसलिए नहीं है कि मार्ग से चलने वाले प्रत्येक वाहन के चालक पर सहज रूप से किसी का ध्यान नहीं रहता है, दुर्घटना होने के पश्चात् ही मौके का व्यक्ति सजग होता है। मृतिका सहजल योगेश (अ.सा.1) की पड़ोसी रहवासी होने से तथा दुर्घटना कारित करने

वाला ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रूक जाने से योगेश (अ.सा.1) के द्वारा कथन

- 23. वस्तुतः अभियोजन ने वाहन स्वामी से धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अधीन इस आशय की साक्ष्य संग्रहित नहीं की है कि दुर्घटना दिनांक और समय पर उसके स्वामित्व के वाहन को कौन चला रहा था । इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामला प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को संदेह का लाभ नहीं दिया है।
- 24. अपीलार्थी श्यामलाल को संदेह का लाभ देकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 20. 08.2014 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी श्यामलाल को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 25. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक क्रमांक 685/24 दिनांक 20.08.2014 द्वारा 500/— (पांच सौ) रूपए जमा किये है। अपील अवधि पश्चात् उक्त राशि अपीलार्थी के खाते में ई—भुगतान द्वारा प्रदान की जावे।
- 26. जप्तशुदा वाहन सुपुर्दनामे पर है। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 27. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने प्रेषित किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

> सही ∕ – ृ**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

सही / – **(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर